सं. आई-11011/40/2009-प्रशा.III

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 22/25 जनवरी, 2010

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः सूचना प्रौद्योगिकी के अधीन नोडल अधिकारी का नामांकन (जनता द्वारा सूचना के अभिगम को अवरुद्ध करने के लिए कार्यविधि और सुरक्षाएँ)

अधोहस्ताक्षरी को धारा - अधिनियम की धारा 69ए के अधीनसूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के अभिगम को अवरुद्ध करने के लिए कार्यविधि और सुरक्षाएँ), नियम, 2009 - के अधीन अपेक्षित, श.वि. मंत्रालय की सूचना, वेबसाइट आदि को अवरुद्ध करने हेतु किसी नोडल अधिकारी के नामांकन के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त अर्धसरकारी पत्र संख्या 1(6)/2009-सीएलएफ एंड ई, दिनांक 3-12-2009 कोसंदर्भित करने का निर्देश हुआ है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अधीन अपेक्षित सार्वजनिक अभिगम के लिए किसी भी सूचना को अवरुद्ध करने की अनुशंसा करने के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अवगत कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के अभिगम को अवरुद्ध करने के लिए कार्यविधि और सुरक्षाएँ), नियम, 2009, के प्रावधान के अधीन एतद्द्वारा श्री वी.के. शर्मा, निदेशक (प्रशासन), श.वि. मंत्रालय को श.वि. मंत्रालय से नोडल अधिकारी नामांकित किया जाता है। पूर्ण संपर्क विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किए जाते हैः-

नाम	विजय कुमार शर्मा
पदनाम	निदेशक (प्रशासन)
डाक पता	कमरा संख्या 235, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली
दूरभाष	23061979
फैक्स	2306-1379
मोबाइल संख्या	9871363330

ई-मेल आईडी	dir-adm-mud@nic.in
वेबसाइट पता	urbanindia.nic.in

3. यह भी अनुरोध किया जाता है कि जैसा कि उपरोक्त अर्धसरकारी पत्र में उल्लेख किया गया है धारा 69ए के लिए नियम के अपेक्षित अधिनियम के प्रवर्तन के निर्धारित प्रपत्र के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अनुभागों 52, 54, 69, 69ए, 69बी और 70 बी(1) से संबंधित सभी प्रासंगिक नियमों की प्रतिलिपि और इसकी अधिसूचना इस मंत्रालय को अग्रसरित की जाए क्योंकि यह ऊपर उल्लिखित अर्धसरकारी पत्र दिनांक 3-12-2009 के साथ संलग्न नहीं पाई गई थी।

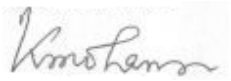

(के.जी. मोहंता)
अवर सचिव (प्रशा.)
दूरभाषः 23061426

प्रेषितीः-

महानिदेशक (सीईआरटी)
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सी.जी.ओ. कम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. निदेशक (प्रशासन), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी- शहरी विकास मंत्रालय। अनुरोध किया जाता है कि नियम ऊपरोक्त अर्धसरकारी पत्र में उल्लिखित नियम 4 की अपेक्षानुसार नोडल अधिकारी श्री वी.के. शर्मा, निदेशक (प्रशासन), शहरी विकास मंत्रालय का नाम मंत्रालय की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाए।